

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :- 02/142/2013

कन्हैया बनाम गोकल वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 17.06.2013 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 492/0.61, 493/0.40, 517/0.13 है। वाके ग्राम टोडाजयसिंहपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 31.07.2013 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल न करें, जबरन न करें व कार्यकाशत प्रार्थी में रूकावट मजाहमत न करें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बाद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आये तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 6 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2067-70 खाता संख्या 54 वाके ग्राम टोडाजयसिंहपुरा के अंकित इन्द्राज से आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है इसलिए सहखातेदारी की आराजी में अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 492/0.61, 493/0.40, 517/0.13 है। वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 17.06.2013 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)